रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 553] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 14, 2008/आश्विन 22, 1930
No. 553] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 14, 2008/ASVINA 22, 1930

Indiacode

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2008

सा.का.नि. 731(अ).—केन्द्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 96 की उप-धारा (2) के खंड (xii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 की दूसरी अनुसूची में प्रविष्टि 4 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

क्रम संख्यांक	मामले जिन पर फीस संदेय है	फीस की रकम	प्ररूप संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
4(क)	बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 के अधीन यथा अधिसूचित विस्तारित किस्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस	1000 रु. (एक हजार रुपये केवल)	–

[फा. सं. 1-4/2003-एस डी. V]

उपमा चौधरी, संयुक्त सचिव

टिप्पण.–मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 738(अ), तारीख 12-9-2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2008

G.S.R. 731(E).—In exercise of the powers conferred by clause (xii) of sub-section (2) of Section 96 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Second Schedule to the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003, after entry 4, the following entry shall be inserted :—

Serial No.	Fee payable on matters	Amount of fee	Form number
(1)	(2)	(3)	(4)
4(a)	Fees for registration of Extant Variety as notified under Section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966)	Rs. 1000 (Rupees one thousand only)	—

[F. No. 1-4/2003-SD. V]

UPMA CHAWDHRY, Jt. Secy.

Note .—The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* No. G.S.R. 738(E), dated the 12 September, 2003.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.